प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग उ0प्र शासन की अध्यक्षता में मत्स्य विभाग, उ0प्र0 के मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों की माह मई 2019 की मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांकः 31 मई 2019
समयः अपरान्ह 11:00 बजे

स्थानः सभाकक्ष मत्स्य चेतना केन्द्र,
मत्स्य निदेशालय, लखनऊ।

दिनांक 31 मई 2019 को अपरान्ह 11:00 बजे मत्स्य निदेशालय स्थित मत्स्य चेतना केन्द्र के सभागार में बैठक सम्पन्न हुयी। उक्त बैठक में निदेशालय के समस्त अधिकारी तथा मण्डल/जनपद के उपनिदेशक मत्स्य झांसी/चित्रकूट श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, उपनिदेशक मत्स्य मुरादाबार श्रीमती सुचेता गुप्ता तथा उपनिदेशक मत्स्य लखनऊ श्रीमती मोनिशा सिंह एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मथुरा, महामाया नगर, चित्रकूट, गोण्डा तथा सम्भल को छोड़कर शेष समस्त अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक में विभाग द्वारा यूपीडेस्को की सहायता से तैयार कराये गये पोर्टल Scheme Monitering System & Various MIS Modules को उपयोग में लाने के तरीके का प्रशिक्षण एवं कृषि विभाग द्वारा आरकेवीवाई योजनान्तर्गत चालू किये गये पोर्टल Bhuvan का प्रशिक्षण समस्त अधिकारियों को कराया गया साथ ही माह मई 2019 तक विभिन्न विभागीय योजनाओं/कार्यकमों की प्रगति के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गयी जिससे सम्बन्धित बिन्दुवार विवरण निम्नलिखित हैः-

- विभाग द्वारा विभागीय योजनाओं में तेजी एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत यूपीडेस्को की सहायता से तैयार कराये गये पोर्टल Scheme Monitering System & Various MIS Modules का प्रमुख सचिव महोदय द्वारा उद्घाटन किया गया। इससे मण्डल एवं जनपद के अधिकारियों द्वारा अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने में तीव्रता एवं पारदर्शिता आयेगी इस पोर्टल के माध्यम से योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा एवं फील्ड में कराये जा रहे कार्य एवं उसके भुगतान आदि के सम्बन्ध में समस्त कार्य इस पोर्टल के माध्यम से ही किया जायेगा साथ ही विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पूरा डाटा आनलाईन होगा। इस के उपयोग हेतु fisheriesmis.data_center.co.in तथा fymis.upsdc.gov.in के माध्यम से लिंक पोर्टल पर कार्य किया जायेगा। जिसका प्रशिक्षण कोआर्डिनेटर श्री विवेकानन्द शुक्ला मो0नं0-9838354188 द्वारा दिया गया। इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गये :-
  (1) प्रत्येक अधिकारी चयनित लाभार्थियों एवं कार्मिको को प्रशिक्षण दिलवाये और आन लाइन सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
  (2) श्री हरेन्द्र प्रसार, सहायक निदेशक मत्स्य को नोडल अधिकारी एवं श्री अंशुमान सिंह, व0साह0 मुख्यालय को निदेशालय स्तर पर सहायक नोडल अधिकारी, पोर्टल सम्बन्धी समस्त कार्य हेतु, नामित करने तथा शासन स्तर पर विशेष सचिव मत्स्य एवं अनुसचिव को कमशः नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामित किये जाने का निर्णय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा लिया गया तथा इनकी अनुपस्थित की दशा में अनुभाग अधिकारी मत्स्य विभाग द्वारा उक्त कार्य को किया जायेगा।
  (3) प्रत्येक अधिकारी स्वयं ट्रेनिंग कर पोर्टल को उपयोग करेगा और वह इस बात का प्रमाण-पत्र भी देगा कि उसके द्वारा शत्-प्रतिशत् डी0बी0टी0 पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
  (4) प्रत्येक अधिकारी एक महीने में इसको सीखें तथा स्टाफ को भी प्रशिक्षित करें।
  (5) पोर्टल के डैश बोर्ड की प्रगति कोषवाणी के अनुरूप होनी चाहिए।

- विभागीय अधिकारियों एवं कार्मिको को कृषि विभाग उ0प्र0 के राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल से आये श्री दीपक वैश्य मो0नं0-9415789310 द्वारा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को आर0के0वी0वाई0 के उच्चीकृत "भुवन" पोर्टल के उपयोग विधि के सम्बन्ध मे प्रस्तुतिकरण करते हुए प्रशिक्षित किया गया और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उपलब्ध मोबाईल नं0 पर सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया।

Scanned by CamScanner

- किसान केडिट कार्ड हेतु जिन जनपदों में डी0एल0टी0सी0 की बैठक अभी तक नहीं हुयी है उस जनपद के प्रभारी इस संबंध में तत्काल जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए, दिनांक 7 जून 2019 तक, बैठक आयोजित कर प्रेषित किये गये लक्ष्यों को समयान्तर्गत पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु सम्बन्धित उपनिदेशक मत्स्य अपनी देखरेख में समयबद्ध रूप से किसान केडिट कार्ड बनवाना सुनिश्चित करेंगे।

- एफ0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत किसानों को परियोजनान्तर्गत ऋण प्राप्त होने के दो वर्षो तक ब्याज भगतान नहीं करना है। राज्य सरकार की सम्पत्तियों की गारण्टी पर लोन प्राप्त करने का प्रस्ताव का मामला शासन में विचाराधीन है। प्रत्येक उपनिदेशक मत्स्य को निर्देशित किया जाता है कि अनुपयोगी जमीन के लिए प्रस्ताव बनवायें, विभागीय प्रक्षेत्रों पर परियोजना प्रस्ताव बनाकर भेजे इसमें 0.5 हे0 के जलाशय ले सकते हैं इस हेतु 10 करोड़ का परियोजना प्रस्ताव 15 जून तक निदेशालय में प्रस्तुत करें।

- प्रतिबन्धित मछलियों (थाई मांगुर एवं बिगहेड)के पालन में कड़ाई से रोक लगायी जाये। इसके संबंध में जिलाधिकारी से मिलकर जिला प्रशासन की मदद से छापा डालकर आई0पी0सी0 की धारा 270 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

- संबंधित अधिकारी ब्लू रिवोल्यूशन योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण, तालाब सुधार, रियरिंग यूनिट एंव निवेश आदि के लिए बैक इन्डेड सब्सिडी के लिए वर्ष 2017–18 के प्रोजेक्ट हेतु जो बजट जारी किया जा रहा है उसका 15 जून तक उपयोग कर 20 जून 2019 तक निदेशालय को उपभोग प्रमाण–पत्र भेजना सुनिश्चित करें तथा डी0बी0टी के माध्यम से ही उक्त बजट के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ताकि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से उपभोग प्रमाण–पत्र भेजा जा सके। आर0ए0एस0 योजनान्तर्गत आठ जिलों में 8 महिला लाभार्थियों का चयन किया गया था उस पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराया जाये। कच्चे कार्य को 15 जून तक शतप्रतिशत अवश्य पूर्ण करा लें।

- मछुआ आवास योजनान्तर्गत दूसरी किश्त जारी हो रही है, इस संबंध में समस्त जनपदीय/मण्डलीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मछुआ आवास की प्रथम किश्त के सापेक्ष्य कार्यपूर्ण कराकर लाभार्थीवार फोटोग्राफ सी0डी0 मे तथा द्वितीय किश्त प्रदान करने हेतु संस्तुति पत्र दिनांक 17.06. 2019 तक निदेशालय को उपलब्ध कराया जाये।

- श्री के0वी0 राजू, आर्थिक सलाहकार , मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माह फरवरी 2019 मे आयोजित समीक्षा बैठक के अन्तर्गत चयनित 25 जनपदों में निजी क्षेत्रो के अधिकतम तालाब निर्माण होने है जिसके लिये संबंधित जनपद के विकासखण्डो मे गोष्ठी कराने की कार्यवाही करे। उक्त हेतु धनराशि की मांग आत्मा अन्तर्गत कृषि विभाग मे की जाय। विस्तृत दिशानिर्देश पत्र के माध्यम से जारी किये जा चुके है।

- विभागीय जलाशयों का जिनका मूल्यांकन होना उसे तत्काल निदेशालय प्रेषित किया जाये ताकि समय से मूल्यांकन हो सके तत्पश्चात् समय से नीलामी हो सके। कोडर जलाशय, जनपद गोण्डा के मत्स्याखेट ठेके हेतु मूल्य निर्धारण का प्रस्ताव उपनिदेशक अयोध्या/देवीपाटन द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराते हुए उसका निर्धारण तत्काल किया जाये।

- बैठक में मण्डलीय उपनिदेशकों द्वारा बताया गया कि वन विभाग द्वारा वेटलैण्ड एरिया में मछली पालन का कार्य नहीं करने दिया जा रहा है और पक्षी बिहार के नाम पर विभागीय जलक्षेत्रों पर कब्जा किया जा रहा है। प्रमुख सचिव द्वारा निर्देश दिये गये इस प्रकार के प्रकरण निदेशालय के माध्यम से शासन को संदर्भित किये जायें ।

- वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा जनपदीय अधिकारियों यथा– ज्योतिबाफूले नगर, ललितपुर, देवरिया, महाराजगंज, संतकबीरनगर मेरठ, मऊ एवं उन्नाव को पिछले उपभोग प्रमाण–पत्र तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिये गये।

निदेशक मत्स्य उ0प्र0

Scanned by CamScanner

- समस्त उपनिदेशक मत्स्य को एफ0आई0डी0एफ0 के प्रस्ताव 15 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिय गये।

- निदेशालय के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विभाग से सम्बन्धित समस्त विवादित मामले जिन पर नीतिगत निर्णय होना है उनको तत्काल शासन प्रेषित किया जाये।

- सहायक निदेशक मत्स्य, चित्रकूट द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया गया इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये गये।

- मण्डलीय कार्यालय में जल्द ही कम्प्यूटर आपरेटर उपलब्ध कराये जायेंगे।

- समस्त उ0नि0म0/स0नि0म0 को इन्टरनेट पर भारत सरकार की वेवसाईट नियमित रूप से चैक करने के निर्देश दिये गये।

गहन विचार–विमर्श के उपरान्त धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

****

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।

कार्यालय निदेशक, मत्स्य विभाग, उ0प्र0, लखनऊ

पत्रांक– 42 /सं0शा0/2019 दिनांक 19 जून 2019

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2– निजी सचिव, विशेष सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0शासन, को विशेष सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3– समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0। (ई0मेल/वाट्सअप के माध्यम से)
4– समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, म0पा0वि0अभि0,उ0प्र0।
(ई0मेल/वाट्सअप के माध्यम से)
5– समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
6– वैयक्तिक सहायक, निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ।

(एस0के0सिंह)
निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0,लखनऊ।
19/6/19

Scanned by CamScanner